न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारीः– श्री प्रेमाराम परमार आर.ए.एस.

अपील संख्या 155/2016

1. ओमप्रकाश पुत्र बीरबलराम जाति जाट निवासी बगीचा तहसील रायसिंहनगर।
2. साहबराम पुत्र बीरबलराम जाति जाट निवासी बगीचा तहसील रायसिंहनगर।
3. इमीचन्द पुत्र बीरबलराम जाति जाट निवासी बगीचा तहसील रायसिंहनगर।
4. कुलदीप उर्फ दलीप पुत्र बीरबलराम जाति जाट निवासी बगीचा तहसील रायसिंहनगर।

——अपीलांट्स

बनाम

1. स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार रायसिंहनगर।

2. शेराराम 3. कृष्णलाल 4. सरबती 5. धन्नाराम 6. मोहनलाल 7. ओमप्रकाश	पिसरान मुखराम जाति मेघवाल निवासी 48 एन.पी. तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।
8. रामकुमार पुत्र भीयांराम तहसील 9. रामस्वरूप पुत्र कालूराम 10. रामेश्वर पुत्र कालूराम	जाति मेघवाल निवासी 16 आर.बी. रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।

11. तारा देवी पत्नी मदनलाल

23/10/17
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

12. रामस्नेही पत्नी भूपराम जाति मेघवाल निवासी हिजरासर तहसील सूरतगढ।
13. बादू पत्नी मनीराम जाति मेघवाल निवासी हरदासवाला तहसील सूरतगढ।
14. केसर पत्नी मनफूल जाति मेघवाल निवासी धांधडा ढाणी तहसील अनूपगढ।
15. कलावती पत्नी बनवारीलाल जाति मेघवाल निवासी हरदासर तहसील सूरतगढ।
16. रावताराम पुत्र सुरजाराम जाति मेघवाल निवासी बगीचा तहसील रायसिंहनगर।
17. मघाराम पुत्र सुरजाराम जाति मेघवाल निवासी बगीचा तहसील रायसिंहनगर।
18. मैनादेवी पत्नी मघाराम जाति मेघवाल निवासी बीरवाना तहसील सूरतगढ।
19. रामकुमार पुत्र सोहनलाल जाति सुथार निवासी 10 एम.एल. तहसील घडसाना।
20. राजू पुत्र सोहनलाल जाति सुथार निवासी 10 एम.एल. तहसील घडसाना।
21. लिछमा पुत्री सोहनलाल जाति सुथार निवासी 10 एम.एल. तहसील घडसाना।
22. हनुमान पुत्र जीसुखराम जाति सुथार निवासी बगीचा तहसील रायसिंहनगर।
23. कृष्ण पुत्र जीसुखराम जाति सुथार निवासी बगीचा तहसील रायसिंहनगर।
24. ओमप्रकाश पुत्र जीसुखराम जाति सुथार निवासी बगीचा तहसील रायसिंहनगर।

24/10/17

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

25. भजिया पत्नी भादरराम जाति सुथार निवासी सोमासर तहसील सूरतगढ।
26. चुनी पत्नी भागीरथ जाति सुथार निवासी सुरजनसर तहसील लूणकरणसर जिला बीकानेर।
27. सावित्री पत्नी राजाराम जाति सुथार निवासी 15ए तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
28. साहबराम पुत्र बीरवलराम जाति जाट निवासी बगीचा तहसील रायसिंहनगर।
29. इमीचन्द पुत्र बीरवलराम जाति जाट निवासी बगीचा तहसील रायसिंहनगर।
30. कुलदीप उर्फ दलीप पुत्र बीरवलराम जाति जाट निवासी बगीचा तहसील रायसिंहनगर।

---रेस्पोंडेंट्स

अपील अर्न्तगत धारा 223 राज.काश्त.अधि. 1955
विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर
दिनांक 29.04.2011

उपस्थिति :-

श्री संदीप जोशी, अभिभाषक अपीलांट्स
श्री वेदप्रकाश शर्मा राजकीय अधिवक्ता
श्री प्रीतमसिंह अभिभाषक रेस्पों. 2

निर्णय दिनांक :- 23.10.2017

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि इस प्रकार हैं तहसीलदार रायसिंहनगर ने एक वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर के समक्ष अन्तर्गत धारा 175 आर.टी.एक्ट के तहत पेश कर

23/10/17
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

निवेदन किया कि प्रतिवादी सं. 1 नानक के पास चक 48 एन पी के मु. नं. 11 की 22 बीघा, 27 की 13 बीघा कुल 38 बीघा भूमि खातेदारी थी। उक्त भूमि प्रतिवादी सं. 2 को 19.12.1958 को विक्रय कर दी। प्रतिवादी सं. 2 सवर्ण जाति का व्यक्ति है जबकि प्रतिवादी सं. 1 अनुसूचित जाति का सदस्य है। इसप्रकार उक्त हस्तांतरण अवैध है। अतः निवेदन है कि उक्त भूमि को बहक सरकार रिज्यूम किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर ने दिनांक 07.06.2000 को स्टेट का वाद खारिज कर दिया। उक्त आदेश के विरूद्ध मुखराम द्वारा इस न्यायालय में अपील सं. 50/2000 पेश होने पर इस न्यायालय द्वारा दिनांक 10.08.2005 को अपील स्वीकार कर प्रकरण रिमाण्ड किया गया। प्रकरण रिमाण्ड होने पर अधी. न्यायालय द्वारा वाद बिन्दु कायम किये गये एवं सुनवाई करने के पश्चात दिनांक 29.04.2011 को स्टेट का वाद स्वीकार कर लिया जिसके विरूद्ध अपीलांट ने यह अपील पेश की है।

उभयपक्ष की बहस सुनी।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट द्वारा दिनांक 19.12.1958 को विवादित भूमि का बेचान जीसुखराम को किया गया तथा उक्त भूमि का बेचान जरिये बैयनामा दिनांक 05.03. 1959 को बीरबलराम को किया गया। बैयनामा के आधार पर राजस्व रिकार्ड में इन्तकाल दर्ज हो गया है। अधी. न्यायालय ने जो तनकीयों का निर्णय किया है, वह गलत है। स्टेट का दावा मियाद बाहर था फिर भी अधी. न्यायालय ने वाद स्वीकार कर लिया। अतः निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया बेचान अनुसूचित जाति से सवर्ण जाति के मध्य होने से राज.काश्त.अधि. की

23/10/17
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

धारा 42 की अवहेलना होने से अधी. न्यायालय ने स्टेट का वाद करने में कोई भूल नहीं की है। अतः अपील खारिज की जावे।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42 के प्रतिबन्धों के प्रावधान अधिनियम दिनांक 15.10.1955 के दिन से प्रभावित होने की तिथि से प्रभावी थे। इस तिथि को प्रभावी प्रतिबन्धों की Bare reading है कि "Section 42, sale or gift- Except with the General or special permission of the State Government, no Khatedar tenant shall have the right to transfer by sale or gift his interest in the whole or a part of his holding to any person who at the date of such transfer is already" इस धारा में अधिनियम में द्वितीय संशोधन Act 78 of 1956 जो दिनांक 22.09.1956 से came into force में समाहित किया गया कि " Provided that no khatedar tenant being a member of Scheduled Caste or a Scheduled Tribe shall so transfer his rights in the whole or a part of his holding to any perso who is not a member of a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe." यह संशोधन अधिनियम की धारा 4 के तहत जोडा गया है जिसकी Bare reading है कि " Amendment of Section 42, Rajasthan Act 3 of 1955 – To Section 42 of the principal Act, the following proviso shall be added before the explanation, and shall be deemed always to have been so added, namely". अर्थात यह संशोधन राज.काश्त.अधि. के प्रभावी होने की तिथि 15.10.1955 से प्रभावी होगा। अधिनियम की यह धारा पुनः Act no. 7 of 1960 में संशोधन होकर दिनांक 19.03.1960 से संशोधन प्रभावी हुआ जिसकी Bare reading है कि " Transfer by sale or gift made by any person such person after Commencement of the Rajasthan Tenancy (Amendment) Ordinance, 1960, shall be null and void."

23/10/17
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

अधिनियम में संशोधन Act no. 12 of 1964 जो दिनांक 01.05.1964 से प्रभावी हुआ, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा का वर्तमान स्वरूप book of law में उपलब्ध है कि Bare reading है कि 42b " Such sale , gift or bequest is by a member of Scheduled Caste in favour of a person who is not a member of the Scheduled caste, or by a member of Scheduled Tribe in favour of a person who is not a member of the Scheduled Tribe." द्वितीय संशोधन में अनुसूचित जाति, जनजाति की कृषि भूमियों के गैर अनुसूचित जाति के नाम हस्तांतरण पर प्रतिबन्ध था जिसे वर्तमान स्वरूप में " sale, gift or bequest" को specially define का प्रतिबन्ध लगाया है।

राज.काश्त.अधि. की धारा 42 पर न्याय सिद्धांत बालू वगैरा बनाम बिरदा एवं अन्य में राज.उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 18.03.1982 में न्यायाधिपति श्री गुमानमल लोढा द्वारा सटीक एवं अति सारगर्भित व्याख्या की है। न्याय सिद्धांत के प्रासंगिक पैरा सं0 16, 17, 18, 19, 20 जिसकी Bare reading है कि "16.The question which still arises is whether such a transfer amounts to sell, bequest, gift or other conveyance of properly as contemplated by the transfer of Property Act.

17. In my opinion, the provisions of Section 42 have been enacted for prohibiting transfer of agricultural land from Scheduled Caste to Non-Scheduled Caste, on the ground that Scheduled Caste and Scheduled Tribe are the weaker sections of society and if protection is not given the other affluent members of society would exploit them. This is a socio-economic legislation to ameliorate the condition of downtrodden, depressed and suppressed segments of society, who are weaker financially, economically, socially and also in education.

18. It is, therefore, necessary that broad liberal interpretation should be given to the word, 'transfer' used in this proviso and all direct or indirect

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

methods of transferring property should be considered to be hit by the prohibition, contained in Section 42. In that context and background, the sale or bequest would be void.

19. The parties manipulate compromise in civil suits and revenue suits and both the parties want to change the property from one person to other person. Can it not be said that it was a transfer for the purpose of Section 42, as surrender can only be made Under Section 55 of the Rajasthan Tenancy Act?

20. Broadly speaking, I am of the opinion that the word, 'transfer' used in the proviso to Section 42 should be treated as comprehensive and even if an agricultural land in Khatedari of Scheduled Caste and Scheduled Tribe is given to Non-Scheduled Caste. Non-Scheduled Tribe, by a compromise in a suit, then also it would come within the mischief of prohibited transfer under Section 42 of the Rajasthan Tenancy Act. Even a contested decree resulting in transfer would be covered by the protective umbrella of Section 42 of the Act.

उपरोक्त विवेचन के आधार राज.काश्त.अधि. 1955 की धारा 42 के सामान्य प्रतिबन्ध 15.10.1955 से प्रभावी थे। अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति की कृषि भूमियों के हस्तांतरण का संशोधन दिनांक 22.09.1956 से प्रभावी थे तथा हस्तांतरण की विस्तृत व्याख्या वर्णित न्याय सिद्धांत बालू बनाम बिरदा के निर्णय के पैरा सं. 16, 17, 18 ,19 ,20 में की है जिसमें बेचान भी शामिल है। अतः अपील अपीलांट द्वारा 01.05.1964 के संशोधन को आधार मानकर इस तिथि से पूर्व के बेचानों को voidable एवं बाद के बेचानों को void मानकर अनुतोष चाहा देने लायक नहीं है क्योंकि अनुसूचित जाति की कृषि भूमियां गैर अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को हस्तांतरण पर प्रतिबंध राज.काश्तकारी अधिनियम

23/10/17
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

में द्वितीय संशोधन 22.09.1956 में लगा दिया गया था तथा null and void की शब्दावली संशोधन दिनांक 09.03.1960 में समाहित की जा चुकी थी।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अधी. न्यायालय के निर्णय में कोई हस्तक्षेप की गुंजाइस नहीं होने से अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा निर्णय की प्रति उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर को प्रेषित कर निर्देश दिये जाते हैं कि विवादित भूमि को अनुसूचित जाति के परिवारों को आवंटन की प्रकिया पूर्ण कर आवंटन आदेश की प्रति सहित पालना रिपोर्ट दिनांक 24.11.2017 से पूर्व इस न्यायालय में पेश करें।

निर्णय आज दिनांक 23.10.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

23/10/17

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगगांनगर

डिक्री व सीगे अपील

(ओ. 41 रूल 35, जाब्ता दिवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix 'G'-9)

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

इजलाल श्री प्रेमाराम परमार, आर.ए.एस., राजस्व अपील प्राधिकारी

1. ओमप्रकाश पुत्र बीरबलराम जाति जाट निवासी बगीचा तहसील रायसिंहनगर।
2. साहबराम पुत्र बीरबलराम जाति जाट निवासी बगीचा तहसील रायसिंहनगर।
3. इमीचन्द पुत्र बीरबलराम जाति जाट निवासी बगीचा तहसील रायसिंहनगर।
4. कुलदीप उर्फ दलीप पुत्र बीरबलराम जाति जाट निवासी बगीचा तहसील रायसिंहनगर।

—अपीलांट्स

बनाम

1. स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार रायसिंहनगर।

2. शेराराम 3. कृष्णलाल 4. सरबती 5. धन्नाराम 6. मोहनलाल 7. ओमप्रकाश	पिसरान मुखराम जाति मेघवाल निवासी 48 एन.पी. तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।
8. रामकुमार पुत्र भीयांराम 9. रामस्वरूप पुत्र कालूराम 10. रामेश्वर पुत्र कालूराम 11. तारा देवी पत्नी मदनलाल	जाति मेघवाल निवासी 16 आर.बी. तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।

12. रामस्नेही पत्नी भूपराम जाति मेघवाल निवासी हिजरासर तहसील सूरतगढ।
13. बादू पत्नी मनीराम जाति मेघवाल निवासी हरदासवाला तहसील सूरतगढ।
14. केसर पत्नी मनफूल जाति मेघवाल निवासी धांधडा ढाणी तहसील अनूपगढ।
15. कलावती पत्नी बनवारीलाल जाति मेघवाल निवासी हरदासर तहसील सूरतगढ।
16. रावताराम पुत्र सुरजाराम जाति मेघवाल निवासी बगीचा तहसील रायसिंहनगर।
17. मघाराम पुत्र सुरजाराम जाति मेघवाल निवासी बगीचा तहसील रायसिंहनगर।
18. मैनादेवी पत्नी मघाराम जाति मेघवाल निवासी बीरवाना तहसील सूरतगढ।
19. रामकुमार पुत्र सोहनलाल जाति सुथार निवासी 10 एम.एल. तहसील घडसाना।
20. राजू पुत्र सोहनलाल जाति सुथार निवासी 10 एम.एल. तहसील घडसाना।

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

21. लिछमा पुत्री सोहनलाल जाति सुथार निवासी 10 एम.एल. तहसील घडसाना।
22. हनुमान पुत्र जीसुखराम जाति सुथार निवासी बगीचा तहसील रायसिंहनगर।
23. कृष्ण पुत्र जीसुखराम जाति सुथार निवासी बगीचा तहसील रायसिंहनगर।
24. ओमप्रकाश पुत्र जीसुखराम जाति सुथार निवासी बगीचा तहसील रायसिंहनगर।
25. भजिया पत्नी भादरराम जाति सुथार निवासी सोमासर तहसील सूरतगढ।
26. चुनी पत्नी भागीरथ जाति सुथार निवासी सुरजनसर तहसील लूणकरणसर जिला बीकानेर।
27. सावित्री पत्नी राजाराम जाति सुथार निवासी 15ए तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
28. साहबराम पुत्र बीरवलराम जाति जाट निवासी बगीचा तहसील रायसिंहनगर।
29. इमीचन्द पुत्र बीरवलराम जाति जाट निवासी बगीचा तहसील रायसिंहनगर।
30. कुलदीप उर्फ दलीप पुत्र बीरवलराम जाति जाट निवासी बगीचा तहसील रायसिंहनगर।

——रेस्पोंडेंट्स

अपील संख्या 155 सन् 2016 व नाराजगी डिक्री अदालत उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर निर्णय दिनांक 29.04.2011

दावा बाबत

यह अपील व तारीख 23 माह 10 सन् 2017 रूबरू मुझ हाजरी श्री संदीप जोशी अभिभाषक मिनजानिब अपीलांट व श्री वेदप्रकाश शर्मा राजकीय अधिवक्ता एवं श्री प्रीतमसिंह अभिभाषक रेस्पों. सं. 2 समाहत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा निर्णय की प्रति उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर को प्रेषित कर निर्देश दिये जाते हैं कि विवादित भूमि को अनुसूचित जाति के परिवारों को आवंटन की प्रक्रिया पूर्ण कर आवंटन आदेश की प्रति सहित पालना रिपोर्ट दिनांक 24.11.2017 से पूर्व इस न्यायालय में पेश करें।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेर तादादी मुबलिग ....X.......) रूपये ..... X ....अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का .... X .... अदा करें।

बसब्त मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख 23 माह 10 सन् 2017 को जारी किया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)